फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

102/11 सत्यनारायण बनाम बोदू

संख्या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। उभयपक्ष ने बहस हेतु समय चाहा। एक अवसर दिया जाता है। आ०ता० पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
9/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। साबिक आदेशानुसार उभयपक्ष आ.ता. पेशी पर बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
24/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
2/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 9/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
9/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। अवकाश। वास्ते आदेश दिनांक 21/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
21/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ. उप.। तनकीह संख्या 1 व 2 वादी ने साबित नहीं किया है अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। (विस्तृत) [illegible] लिखवाया गया। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –102/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक –22.06.2011

सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र गोदा जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र गणेश जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. कल्याण पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. भूरा पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. किशन पुत्र बल्लू जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. शिवजीराम पुत्र बल्लू जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, पता तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।
8. राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. जयसिंह पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री कैलाश नारायण शर्मा – अधिवक्ता वादी

(2) श्री राजेश रूहेला – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से।

दिनांक 21.05.2025

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम यादवखेडा, पटवार ह[illegible]पुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 192 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 215 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 216 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जिसमें श्री गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र जयनारायण व सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल की 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी है। खातेदार श्री रामगोपाल पुत्र जयनारायण की मृत्यु हो चुकी है

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 मृतक श्री रामगोपाल के प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान है। जो वर्तमान में उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की उक्त शामलाती कृषि भूमि अर्सा कदीम से उक्त भूमि के चारों ओर बनी डोल से महदूद है। जिसमें वादी व श्री रामगोपाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अर्सा कदीम से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। तहसील आमेर की समस्त भूमि की भू–प्रबंध की कार्यवाही सन् 1983 में चालू की गई जो संपूर्ण होकर सन् 1998 में लागू की गई। तद्नुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 192, 215, 216 से नये खसरा नंबर 112 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 115 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 3.28 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 172 रकबा 0.65 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 8 हैक्टेयर कायम हुए। तथा भू–प्रबंध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 कब्जे खातेदारी की भूमि का नया नक्शा बनाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वजों ने भू–प्रबंध अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 192 व 215 के लगातार दक्षिण की ओर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि की सीमाओं में अपने खाते की भूमि का हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 नक्शें में दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भूमि हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 को नक्शे में भू–प्रबंध अधिकारियों ने विधिविरूद्व तरीके से बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से मिलीभगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि के स्थान पर नक्शे में दर्ज इंद्राज कर दिया। उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 ग्राम यादवखेडा तहसील आमेर, जिला जयपुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 195, 215 का भाग है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने विधि विरूद्व तरीके से भू–प्रबंध अधिकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर नक्शे में इंद्राज करवा लिया। जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 अपने खातेदारी में घोषित करवाये जाने को अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा राजस्व नक्शे में करवाये इस दिखावटी अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 दिनांक 15.06.2011 को वादी के कब्जे खातेदारी के कुएं खसरा 115 के दक्षिण दिशा की ओर की डोल को तोडने लगे। इस पर वादी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने एहलानिया कहा कि इस डोल के दूसरी ओर की भूमि रिकॉर्ड मे हमारे नाम है। इसलिए हम इसमें जबरिया कब्जा करके रहेंगे। जिस पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumah Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वजों ने भू–प्रबंध अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 192 व 215 के लगातार दक्षिण की ओर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि की सीमाओं में अपने खाते की भूमि का हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 नक्शें में दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भूमि हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 को नक्शे में भू–प्रबंध अधिकारियों ने विधिविरूद्व तरीके से बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से मिलीभगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि के स्थान पर नक्शे में दर्ज इंद्राज करवा लिया। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नंबर 115/273 व 170/272 साबिक खसरा नंबर 193 में से बना है तथा साबिका खसरा नंबर 193 का पूर्व राजस्व मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहा है भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व भू अभिलखों व राजस्व नक्शे की मूल सीमाओं में कतई भी परिवर्तन नहीं किया गया है तथा ना ही वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की की भूमि की सीमाओं में कोई परिवर्तन किया गया है वादी द्वारा उक्त वाद पत्र मिन प्रतिवादीगण को बेजा परेशान करने की गरज से अंकित किये गये है तथा मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व अधिकारी के नाम साबिक खसरा नंबर 193 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही जिसमें खसरा नंबर 115/273 रकबा 0.22 हैक्टेयर खसरा नंबर 116 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.8600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 का 1/4 हिस्सा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 123 रकबा 1.4900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 125 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170/272 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 हैक्टेयर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 121 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम व खसरा नंबर 122 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा मिन प्रतिवादीगण स्वयं की खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है जिसके उपयोग उपभोग से वादी के किसी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा विवादित खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादीगण स्वयं की खातेदारी व भूमि पर काबिज काश्त है जिसके उपयोग उपभोग से वादी के किसी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा विवादित खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 के साबिक खसरा नंबर 192 व 215 कभी नही रहे हैं जबकि उक्त खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 साबिक खसरा नंबर 193 से बने है। मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबरान की सीमाओं व रकबे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वादी व मिन प्रतिवादीगण ही कृषि भूमि के हाल राजस्व नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की भांति है वादी ने मिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया बल्कि वादी की नियत में फितुर होने से मिन प्रतिवादीगण के उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी अधिकारी है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 डिक्री फरमाया जाकर घोषणा न्यायालय द्वारा इस आशय की फरमाई जावे कि विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 170/272 व 115/263 वाके ग्राम यादवखेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 192 व 215 का भाग हैं ?

............वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा किये गये विधि विरूद्व अंकन के आधार पर वादी के कब्जे खातेदारी की भूमि साबिका खसरा नंबर 192 व 215 के चारों ओर बनी अर्सा कदीम डोल को किसी प्रकार से कोई क्षति कारित नहीं करें न वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न करें ?

............वादी

3. आया खसरा नंबर 115/273 व 270/272 साबिक खसरा नंबर 193 में से बना है तथा साबिका खसरा नंबर 193 का पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहा है भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व भूअभिलेखों व राजस्व नक्शा की भूमि सीमाओं में कतई परिवर्तन नहीं किया गया हैं कानूनन खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज करने योग्य है ?

............प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

4. आया वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज योग्य है ?

............प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्लू 1 राजाराम यादव पुत्र स्व. श्री बंशीलाल, गवाह पी.डब्लू 2 सत्यनारायण उर्फ सत्यवीर पुत्र श्री बंशीलाल का पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 4 हाल जमाबंदी है प्रदर्श 5 नक्शा, प्रदर्श 6 साबिक नक्शा, प्रदर्श 7 साबिक नक्शा खन्नीपुरा, प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत 2024, प्रदर्श 9 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 10 लगायत 15 तक मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 16 व 17 मिलान क्षेत्रफल एवं प्रदर्श 18 से 20 मौके की फोटग्रा्स को प्रदर्शित करवायें।

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्लू 1 भूरा पुत्र गणेश, राधेश्याम पुत्र बोदूराम, बाबूलाल यादव पुत्र स्व. मंगलचंद यादव के साक्ष्य पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में हाल जमाबंदी प्रदर्श ए–1, हाल जमाबंदी खाता संख्या 23 प्रदर्श ए–2, साबिक जमाबंदी प्रदर्श ए–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, साबिक नक्शा ए– 5, हाल नक्शा प्रदर्श ए–6, हाल जमाबंदी खाता संख्या 13 प्रदर्श ए–7, हाल जमाबंदी खाता संख्या 04 प्रदर्श ए–8 के प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी संख्या 1 आया वादी अधिकारी है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 डिक्री फरमाया जाकर घोषणा न्यायालय द्वारा इस आशय की फरमाई जावे कि विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 170/272 व 115/263 वाके ग्राम यादवखेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 192 व 215 का भाग हैं ?

............वादी

तनकी संख्या 2 आया वादी प्रतिवादीगगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वे भू... ...किये गये विधि विरूद्व अंकन के आधार पर वादी के कब्जे खातेदारी की ... सा... का खसरा नंबर 192 व 215 के चारों ओर बनी अर्सा कदीम डोल ... किसी प्रक... से कोई क्षति कारित नहीं करें न वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान ... करें ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

............वादी

तनकी संख्या 1 एवं 2 सुविधा के दृष्टिगत एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादी अपनी तनकीयो को साबित करने के लिए साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्लू 1

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

राजाराम यादव पुत्र स्व. श्री बंशीलाल, गवाह श्री डब्लू 2 सत्यनारायण उर्फ सत्यवीर पुत्र श्री बंशीलाल का पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 4 हाल जमाबंदी है प्रदर्श 5 नक्शा, प्रदर्श 6 साबिक नक्शा, प्रदर्श 7 साबिक नक्शा खन्नीपुरा, प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत 2024, प्रदर्श 9 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 10 लगायत 15 तक मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 16 व 17 मिलान क्षेत्रफल एवं प्रदर्श 18 से 20 मौके की फोटग्रा्स को प्रदर्शित करवाये। वादी अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वजों ने भू–प्रबंध अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 कब्जे खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 192 व 215 के लगातार दक्षिण की ओर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि की सीमाओं में अपने खाते की भूमि का हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 नक्शें में दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई सरोकार नहीं है। इसलिए भूमि हाल खसरा नंबर 115/273 व 170/272 को नक्शे में भू–प्रबंध अधिकारियों ने विधिविरूद्व तरीके से बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से मिलीभगत कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे खातेदारी की भूमि के स्थान पर नक्शे में दर्ज इंद्राज करवा लिया। जबकि उक्त कथनो के खण्डन में प्रतिवादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित किया है कि खसरा नंबर 115/273 व 170/272 साबिक खसरा नंबर 193 में से बना है तथा साबिका खसरा नंबर 193 का पूर्व राजस्व मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहा है जो कि साबिक जमाबंदी प्रदर्श ए–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, साबिक नक्शा ए– 5, हाल नक्शा प्रदर्श ए–6, हाल जमाबंदी खाता संख्या 13 प्रदर्श ए–7, हाल जमाबंदी खाता संख्या 04 प्रदर्श ए–8 से साबित है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्व अधिकारी के नाम साबिक खसरा नंबर 193 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही जिसमें खसरा नंबर 115/273 रकबा 0.22 हैक्टेयर खसरा नंबर 116 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.8600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 का 1/4 हिस्सा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 123 रकबा 1.4900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 125 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 172 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 हैक्टेयर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 121 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम व खसरा नंबर 122 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] ने दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत कथन किया है जबकि विवादित खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 के साबिक खसरा नंबर 192 व 215 कभी नही रहे हैं जबकि उक्त खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 साबिकं खसरा नंबर 193 से बने है। जोकि जमाबंदी प्रदर्श ए–1, हाल जमाबंदी खाता संख्या 23 प्रदर्श ए–2, साबिक जमाबंदी प्रदर्श ए–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, साबिक नक्शा ए– 5, हाल नक्शा प्रदर्श ए–6, हाल जमाबंदी खाता संख्या 13 प्रदर्श ए–7, हाल जमाबंदी खाता संख्या 04 प्रदर्श ए–8 से साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में असमर्थ रहे है फलस्वरूप तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया खसरा नंबर 115/273 व 270/272 साबिक खसरा नंबर 193 में से बना है तथा साबिका खसरा नंबर 193 का पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहा है भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व भूअभिलेखों व राजस्व नक्शे की मूल सीमाओं में कतई परिवर्तन नहीं किया गया हैं कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः वादी का वाद पत्र खारिज करने योग्य है ?

............प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

तनकी संख्या 4 आया वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज योग्य है ?

...........प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

तनकी संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 पर है। प्रतिवादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित किया है कि खसरा नंबर 115/273 व 170/272 साबिक खसरा नंबर 193 में से बना है तथा साबिका खसरा नंबर 193 का पूर्व राजस्व मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहा है जो कि साबिक जमाबंदी प्रदर्श ए–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, साबिक नक्शा ए– 5, हाल नक्शा प्रदर्श ए–6, हाल जमाबंदी खाता संख्या 13 प्रदर्श ए–7, हाल जमाबंदी खाता संख्या 04 प्रदर्श ए–8 से साबित है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्व अधिकारी के नाम साबिक खसरा नंबर 193 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही जिसमें खसरा नंबर 115/273 रकबा 0.22 हैक्टेयर, [illegible] नंबर 116 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.8600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 3/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 का 1/4 हिस्सा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 123 रकबा 1.4900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 125 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

170/272 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 हैक्टेयर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नंबर 121 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम व खसरा नंबर 122 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत कथन किया है जबकि विवादित खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 के साबिक खसरा नंबर 192 व 215 कभी नही रहे हैं जबकि उक्त खसरा नंबर 115/273 व खसरा नंबर 170/272 साबिकं खसरा नंबर 193 से बने है। जोकि जमाबंदी प्रदर्श ए–1, हाल जमाबंदी खाता संख्या 23 प्रदर्श ए–2, साबिक जमाबंदी प्रदर्श ए–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, साबिक नक्शा ए– 5, हाल नक्शा प्रदर्श ए–6, हाल जमाबंदी खाता संख्या 13 प्रदर्श ए–7, हाल जमाबंदी खाता संख्या 04 प्रदर्श ए–8 से साबित है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने तनकी संख्या 3 व 4 को बखूबी साबित किया है। फलस्वरूप तनकी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष के निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 04 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित नही किया हैं तथा वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्या[illegible] सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या —102/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक —22.06.2011

सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र गोदा जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र गणेश जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. कल्याण पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. भूरा पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. किशन पुत्र बल्लू जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. शिवजीराम पुत्र बल्लू जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, पता तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।
8. राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति अहीर, निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. जयसिंह पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा— 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 21.05.2025

तनकी संख्या 01 लगायत 04 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित नही किया हैं तथा वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 21.05.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ———

ओहदा ———

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:12 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर